भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1735

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

जल संरक्षण के लिए प्रोतसाहन

1735. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने और व्यवहार में लाने के लिए प्रोत्साहन देने से उद्धोगों, कृषि और घेरलू प्रयोक्तओं द्वारा जल संरक्षण को व्यावहारिक बढ़ावा मिलेगा और इसे ट्रैक भी किया जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): जल राज्य का विषय है और जल संसाधनों का संवर्धन, संरक्षण और दक्ष प्रबंधन के लिए पहल मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कि जाती है। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

जल संरक्षण के लिए अपनाई गई विभिन्न पद्धतियां जैसे - लोगों को जागरूक करना, जल उपयोग कि मात्रा को मापना आदि के द्वारा जल के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे सकती हैं।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा कारखानों में पानी के मीटर लगाने और भूजल के अधिक निष्कर्षण होने पर जल शुल्क और दंड लगाने से जल संरक्षण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आता है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत बांध प्रचालकों और सिंचाई सेवा प्रदाताओं सहित विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण (एससीएडीए) प्रणालियों और प्रवाह मीटरिंग उपकरण स्थापित करके जल उपयोग की निगरानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे बेहतर जल सकारात्मक व्यवहार बनता है। इसी प्रकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) अधिदेश से रीसाइकल और उपचारित जल के पुन: उपयोग के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।

भारत सरकार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से पानी के रिसाव को कम करने के लिए घरेलू जल आपूर्ति हेतु अपनी प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करती है।

*****